Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील/एल आर/1273/2002/हनुमानगढ **काशीगिर बनाम भानीराम व अन्य**	

एकल–पीठ
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री मनीष पंडया, अधिवक्ता अपीलार्थी।
(2) श्री सतवीर सिंह सिद्धू, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक :

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 19–2–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को आराजी खसरा नम्बर 1110 रकबा 6 बीघा 12 विस्वा भूमिचक झेदासर तहसील नोहर जिला श्रींगंगानगर का आवंटन प्रत्यर्थी संख्या 1 को किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने उक्त प्रार्थना पत्र को अपने निर्णय दिनांक 30–9–97 के द्वारा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 30–10–2000 के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19–2–2002 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलीय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/1273/2002/हनुमानगढ** **काशीगिर बनाम भानीराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय दोनेां ने नियम 14(4) की प्रभावशीलता को मात्र धोखा व मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करने पर ही आवंटन निरस्त करने योग्य माना है जबकि इस धारा में नियम विरूद्ध आवंटन भी निरस्त योग्य है। तथ्यों से स्पष्ट है कि यह भूमि नियम विरूद्ध आवंटन की गई है। क्योंकि उक्त भूमि वक्त आवंटन रिक्त भूमि नहीं थी। आवंटन से पूर्व प्रविष्टियों की सत्यता की जांच नहीं की गई। उनका तर्क है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि साबिक खसरा नम्बर 270 के हाल खसरा नम्बर 1110 रकबा 6बीघा 12 विस्वा व 1111 रकबा 11 बीघा 14 विस्वा पैमूद हुये, यह कथन मिथ्या है। प्रथम अपील के साथ मिलान खसरा क्षेत्रफल, तुलनात्मक प्रस्तुत है जिससे अपील अधिकारी की यह बता मिथ्या साबित हो जाती है। उनका तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के मूल प्रश्न को नहीं देखा बल्कि कल्पना के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। इसलिये प्रत्यर्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। 5– बहस के खण्डन में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध नहीं है कि खासरा नम्बर 270 के हाल खसरा नम्बर 1110 में 6बीघा 12 विस्वा व 1111 में 11 बीघा 4 विस्वा पैमूद हुये हैं।। साबिक खसरा नम्बर 270 से नया नम्बर 1098/1359 रकबा 20 बीघा गोचर के रूप में दर्ज होने पर उसे दुरूस्ती करानी चाहिये थी तथा वास्तविक गोचर जिस खसरे की थी उससे बने खसरे के आगे गोचर अंकित करनी चाहिये थी। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 24–8–90 में यह अंकित नहीं है कि गत खसरा नम्बर 270 में 20 बीघा नये खसरा नम्बरा 1110 में 6 बीघा 12 विस्वा व 1111 में 11बीघा 4 विस्वा में परिवर्तित हुई है। उपखण्ड अधिकारी की इस रिपोर्ट से साबित है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 1110 की 6 बीघा 12 विस्वा पर अतिक्रमी है न कि पूर्व में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/1273/2002/हनुमानगढ** **काशीगिर बनाम भानीराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आवंटित कृषि भूमि 20 बीघा का भाग है। इस कार्यवाही में मिलान क्षेत्रफल अथवा खसरा परिवर्तन की प्रमाणित प्रति पेश करनी चाहिये थी जिससे यह साबित होता कि खसरा नम्बर 1110 व 1111 साबिक खसरा नम्बर 270 से बने हैं। इसलिये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1070 के नियम 14(4) के तहत आवंटन को तभी निरस्त किया जा सकता है जबकि आवंटी द्वारा वक्त आवंटन तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया हो अथवा छलकपट कर आवंटन कराया हो तभी ऐसे आवंटी के आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में वक्त आवंटन वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवाच चक भूमि थी जिस पर अपीलार्थी बतौर अतिक्रमी काबिज था। आवंटन नियमों में अतिक्रमी के कब्जे की भूमि को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि माना गया है। जहां तक अपीलार्थी के इस तर्क का प्रश्न है कि वादग्रस्त आराजी उसकी खातेदारी की भूमि थी जिसे भू प्रबन्ध के दौरान सिवाय चक दर्ज कर दिया गया था। हम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह सिद्ध नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध से पूर्व अपीलार्थी की खातेदारी की रही हो। जो राजस्व रेकार्ड खसरा मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत किये गये हैं उनके अपीलार्थी के कथनों की भली भांति पुष्टि नहीं होती है।यदि वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी की खातेदारी की रही हो और उसे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सिवाय चक दर्ज कर दिया गया हो तो उसके लिये वह सक्षम न्यायालय में घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश कर सहायता प्राप्त कर सकता है। यदि वह वादग्रस्त आराजी का अपने आप को खातेदार घोषित करा लेता है तो प्रत्यर्थी को किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा। लेकिन नियम 14(4) के तहत प्रत्यर्थी को विधि अनुसार किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि आवंटन मिथ्या आधारों पर किया गया है अथवा आवंटन के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल आर/1273/2002/हनुमानगढ** **काशीगिर बनाम भानीराम व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वक्त आवंटी ने तथ्यों को छिपाया हो। इसलिये इस द्वितीय अपील में हम कोई सार नहीं पाते हैं। 8– उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	